II/निग०/भू-रा०/2017/6048

25

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित / विलोपित
20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित

Rs.30/-

विश्राम साकेत तनय बुद्धी साकेत निवासी ग्राम भीटा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. उमेश तनय शिवलाल साकेत निवासी ग्राम भीटा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदक विश्राम साकेत द्वारा पेश। 12.12.17

कार्यालय कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 49/अ–12/2016–17 आदेश दिनांक 24.08.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यह कि निगरानीकर्ता क्रमांक 1 अपने स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 96/2 रकवा 0.010 हे0 मौजा भीटा तहसील गुढ़ में स्थित है के सीमांकन बावत् अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक के न्यायालय में दिनांक 05.05.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज करके हल्का पटवारी से सीमांकन प्रतिवेदन हेतु परवाना जारी करने का आदेश किया गया था।

विश्राम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6048

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 49 अ–12/16–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–8–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क्र–2 ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 96/2 स्थित ग्राम भीटा के सीमांकन का आवेदन दिया , जिस पर से राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी ने प्र0क्र0 49 अ–12/16–17 पॅजीबद्व करके सीमांकन की सूचना मेढ़िया कास्तकारों को जारी कराई है। पटवारी हलका नंबर 15 एंव पटवारी हलका नंबर 17 ने मौके पर दिनांक 4–6–17 को ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन कार्य किया है तथा मौके पर उपस्थित पंचगणों के समक्ष पंचनामा तैयार किया है। पटवारी के सीमांकन प्रतिवेदन पर से राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन पर आपत्तिर्ता विश्राम साकेत को सुना है एंव उनकी आपत्ति निरर्थक पाते हुये आदेश दिनांक 24–8–17 से आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन के पूर्व कोई सूचना जारी नहीं	

की गई। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, वल्कि अनावेदक क–2 के घर पर बैठकर पंचनामा बनाकर कागजात तैयार किये गये है और आवेदक की भूमि प्रभावितकर दी गई है। राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदक ने सीमांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है, परन्तु आपत्ति पर साक्ष्य एंव सुनवाई न करते हुये एकपक्षीय आदेश से सीमांकन अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 96/2 स्थित ग्राम भीटा का अनावेदक कमांक–2 रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इस भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी तहसील गुढ़ के प्रकरण कमांक 49 अ–12/16–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–8–17 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य